फाइल नं0-71-3002(002)/8/2023-03

99/2026/I/1282470/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में डा0 सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के शैक्षणिक परिसर के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में मारच्युरी की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-डी0एस0एल0पी0ए0एस0एम0सी0/पी0बी0एच0/2025/2681, दिनॉक 29.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि डा0 सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के शैक्षणिक परिसर के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में मारच्युरी की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-140/2024/I/828500/2024/71-3002(002)/8/2023-03, दिनॉक 19.12.2024 द्वारा तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 167.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 45.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के शैक्षणिक परिसर के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में मारच्युरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-11-03-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 121.77 लाख (रू0 एक करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-140/2024/।/828500/2024/71-3002(002)/8/2023-03, दिनॉक 19.12.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,21,77,000 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051103 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
4. वित्त नियंत्रक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
6. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in